

मतलब साफ है कि अब उन सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की जांच थर्ड पार्टी से करानी होगी. जो अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट न्यूट्रीशन वाला बताते हैं. साथ ही कई और बड़े दावे करते है. अब उन सभी बिजनेस करने वालों को इसकी जांच कराकर रिपोर्ट सौंपनी होगी.

थर्ड पार्टी Auditing जरूरी

हाई रिस्क फूड बिजनेस के लिए थर्ड पार्टी Auditing



- हर तरह के कैटरर्स को फूड सेफ्टी की थर्ड पार्टी Auditing करानी होगी, FSSAI का आदेश
- रेस्त्रां, क्लाइड किचन, शादी-ब्याह में केटरिंग वालों को भी करानी होगी Auditing



हाल में FSSAI टी-बैग को लेकर भी दे चुका ये आदेश- फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) ने राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों को आदेश दिया है कि 30 जून से टी-बैग में स्टेपल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाए. खानपान सामग्री का कारोबार करने वाली कंपनियों से जून महीने से पहले पिन लगे टी बैग का उत्पादन, स्टोरेज और वितरण रोकने के लिए कहा गया है. चाय के साथ पिन अगर व्यक्ति के पेट में चला जाए तो इससे काफी परेशानी पैदा हो सकती है. केंद्र सरकार ने पहले तो नए साल से ही रोक लगा दी थी. पर किन्हीं कारणों से तिथि में बदलाव करना पड़ा.